न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं.–99/2018

–:: अनवान ::–

1.लालचन्द पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1.रजिराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़
2.तहसीलदार सूरतगढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1.श्री भगवानदत्त शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2.अप्रार्थी सं. 1–2 एकतरफा कार्यवाही (29.08.2018)

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–07.01.2020

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थनाा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 1 आर0एम0 के खाता संख्या नया 34 पुराना 36 के प0नं0 99/312 मु0नं0 31 के कि0नं0 1–2/0.506 है0, 9 ता 12/1.024 =1.518 हैक्टर कमाण्ड, 100/312(32) कि0नं0 6/0.228 हैक्टर कमाण्ड व 0.025 हैक्टर खाला, 7 ता 9/0.759 हैक्टर कमाण्ड, 10/2/0.228 हैक्टर कमाण्ड, 11/2/0.228 हैक्टर कमाण्ड, 12 ता 14/0.759 हैक्टर कमाण्ड, 15/0.228 हैक्टर कमाण्ड व 0.025 है0= 2.480 हैक्टर मय खाला (2.430 है0 कमाण्ड व 0.050 है0खाला) कुल 3.998 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के नाम वाके चक 1 आर0एम0 प0नं0 99/312(31) कि0नं0 1–2, 9 ता 12 में कही पर भी खाला का अंकन नही है ना ही खाला की भूमि कम की गई है। प्रार्थी उक्त रकबा का काश्त कर उपयोग व उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 वादी की उक्त भूमि में जबरन खाला बनाने को प्रयासरत है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार का उपयोग व उपभोग करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी उक्त भूमि का एकमात्र खातेदार कृषक है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 ने जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जबरन खाला बना लिया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे जैरप्रकरण रकबा प्रार्थी के नाम वाके चक 1 आर0एम0 प0नं0 99/312(31) कि0नं0 1–2, 9 ता 12 में 1.518 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि में ना तो स्वयं दखलदांजी करें व ना ही किसी अन्य से करावें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

8. प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी को एकतरफा सुना जाकर दिनांक 08.06.2018 को अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा प्रश्नगत रकबा की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

9. अप्रार्थी सं. 1—2 बावजूद सूचना उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 29.08.2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

10. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया।

11. हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार जैरवाद भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि अंकित राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद तामिल हाजिर नही आयें है। एक खातेदार कृषक के खातेदारी भूमि पर बिना उसकी अनुमति कोई दखलदांजी नही कर सकता है। यदि अप्रार्थी सं. 1 यह कर रहें है तो यह गैर—कानूनी है। इसलिये उनकी भूमि पर कोई भी बिना उनकी अनुमति निर्माण या दखलदांजी नही कर सकता है। इसलियें प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी सं0 1 वाद पत्र के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी के नाम वाके चक 1 आर0एम0 प0नं0 99/312(31) कि0नं0 1—2, 9 ता 12 कुल 1.518 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि में ना तो स्वयं दंखलदांजी करें एवं ना ही किसी अन्य से करवायें व मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

13. निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.27 15:52:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: